



## शातिर चोरों ने की थी पीतांबरा मंदिर में चोरी, दबोचे गये

- 12/13 की रात को हुई थी बिठूर स्थित मंदिर में चोरी की घटना
- बिठूर पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माल किया बरामद
- पकड़े गये एक अभियुक्त पर दो दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज
- सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी मंदिर में चोरी की पूरी घटना
- तीसरे अभियुक्त की तलाश में जुटी बिठूर और क्राइमब्रांच की टीम
- थाना बिठूर और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता
- पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस टीम को 50000/- रुपये का पुरस्कार
- फरार अभियुक्त फहीम पर 50000/- रुपये का इनाम किया घोषित

**कानपुर:** दिनांक 12/13-01-2023 की रात्रि समय लगभग 02.23 बजे माँ बंगला पीताम्बरा मंदिर थाना बिठूर कानपुर नगर में हुई चोरी की घटना का थाना बिठूर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने वाले दो और चोरी के आभूषण खरीदकर गलाने वाले दो अभियुक्तों समेत कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे चोरी का माल बरामद कर लिया है। पांचवे अभियुक्त की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

12/13 की रात को हुई चोरी की घटना के संबंध में 03 अज्ञात चोरों पर मु0अ0स0 08/2023 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत कराया गया था। चोरों ने मन्दिर की जाली काटकर व गेट के ताले तोड़कर मन्दिर से माँ के आभूषण व दान पात्र के पैसे चोरी की गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी समेत आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के जल्द खुलासे के लिये निदेश दिये थे। घटना का अनावरण होने पर पुलिस आयुक्त महोदय बीपी जोगदंड के द्वारा पुलिस टीम को 50000/- रुपये का पुरस्कार तथा फरार अभियुक्त फहीम पुत्र छोटे उपरोक्त पर 50000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया।

सी0सी0टी0वी0 फुटेज तथा संदिग्ध अपराधियों से पूछताछ कर घटना का पुलिस ने अनावरण मंगलवार को कर दिया। पुलिस ने उन्नाव जाने वाले गंगा पुल से पहले घटना में शामिल अभियुक्तगणों 1.कुंवरपाल पुत्र निरपति ग्राम रामनगर थाना ठठिया जनपद कन्नौज 2.राजा पुत्र कल्लू निवासी बस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज 3.स्वर्णकार गणेश कुमार सोनी पुत्र शिव नारायण सोनी ग्राम ठठिया थाना ठठिया जनपद कन्नौज व 4.संदीप कुमार सक्सेना पुत्र रामनरेश सक्सेना ग्राम हसेरन थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज को गिरफ्तार कर पूछताछ की।

पूछताछ में पता चला कि 12/01/2023 को अभियुक्त गण 1.कुंवरपाल पुत्र निरपति ग्राम रामनगर थाना ठठिया जनपद कन्नौज 2.राजा पुत्र कल्लू निवासी बस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज ने अपने साथी फहीम पुत्र छोटे निवासी ग्राम बस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज के साथ मोटरसाइकिल से साईं मन्दिर धाम बिठूर आकर वहां पर साईं मन्दिर व माँ बगला पीताम्बरा मन्दिर में चोरी के उद्देश्य से रेकी की व देर रात्रि तीनों ने मिलकर माँ बगला पीताम्बरा मन्दिर में ताले काटकर चोरी की, चोरी में प्राप्त आभूषण व पैसे लेकर अपने गाँव वापस चले गये।

### **कन्नौज के स्वर्णकार ने आभूषणों को गलाया**

दूसरे दिन चोरी से प्राप्त आभूषणों को स्वर्णकार गणेश कुमार सोनी पुत्र शिवनारायण सोनी ग्राम ठठिया थाना ठठिया जनपद कन्नौज को दे दिया स्वर्णकार गणेश ने अपने साथी संदीप कुमार सक्सेना पुत्र रामनरेश सक्सेना ग्राम हसेरन थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज के साथ मिलकर प्राप्त आभूषणों को गला दिया। फरार अभियुक्त फहीम पुत्र छोटे उपरोक्त के संबन्ध में बताया कि फहीम वारदात के अगले दिन दानपात्र से प्राप्त लगभग 20000 रुपये नगद धनराशि को लेकर कहीं चला गया है।

### **शातिर है कुंवर पाल 26 मुकदमें हैं दर्ज**

पूछताछ में पता चला कि कुंवरपाल पुत्र निरपति ग्राम रामनगर थाना ठठिया जनपद कन्नौज अपनी गैंग बनाकर मन्दिर व म्यूजियम में चोरी करता है। साल 2012 को मध्यप्रदेश में रीवा के महाराजा मार्तण्ड सिंह के फोर्ट म्यूजियम में डकैती डालकर एक व्यक्ति की हत्या कर पौराणिक मूर्तियां चोरी करने का जघन्य अपराध भी कर चुका है, दिनांक 16/17-02-17 को प्राचीन माँ अन्नपूर्णा मन्दिर तिर्वा व दौलेश्वर धाम मन्दिर तिर्वा में चोरी कर चुका है। पुलिस मध्य प्रदेश व राजस्थान से अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण**

- 1.कुंवरपाल पुत्र निरपति ग्राम रामनगर थाना ठठिया जनपद कन्नौज
- 2.राजा पुत्र कल्लू निवासी बस्ता थाना ठठिया जनपद कन्नौज
- 3.स्वर्णकार गणेश कुमार सोनी पुत्र शिव नारायण सोनी ग्राम ठठिया थाना ठठिया जनपद कन्नौज
- 4.संदीप कुमार सक्सेना पुत्र रामनरेश सक्सेना ग्राम हसेरन थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज

### **1-अभियुक्त कुंवरपाल का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0स0 101/16 धारा 18/20 NDPS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज
2. मु0अ0स0 816/16 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना ठठिया जनपद कन्नौज
3. मु0अ0स0 272/17 धारा 457/380 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
4. मु0अ0स0 804/17 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
5. मु0अ0स0 184/20 धारा 3/25 ARMS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज
6. मु0अ0स0 689/17 धारा 3/25 ARMS ACT थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
7. मु0अ0स0 185/20 धारा 18/20 NDPS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज
8. मु0अ0स0 688/17 धारा 307 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज

9. मु0अ0स0 702/16 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
10. मु0अ0स0 358/17 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
11. मु0अ0स0 282/17 धारा 395 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
12. मु0अ0स0 678/16 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
13. मु0अ0स0 249/2003 धारा 307 भादवि0 थाना ठठिया जनपद कन्नौज
14. मु0अ0स0 251/2003 धारा 17 (A) NDPS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज
15. मु0अ0स0 135/2006 धारा 307 भादवि0 थाना ठठिया जनपद कन्नौज
16. मु0अ0स0 119/2007 धारा 307 भादवि0 थाना ठठिया जनपद कन्नौज
17. मु0अ0स0 210/2006 धारा 3/25 ARMS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज ।
18. मु0अ0स0 469/2006 धारा 364 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
19. मु0अ0स0 34/2010 धारा 307 भादवि0 थाना ठठिया जनपद कन्नौज
20. मु0अ0स0 35/2010 धारा 25/27 ARMS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज ।
21. मु0अ0स0 36/2010 धारा 21/22 NDPS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज
22. मु0अ0स0 384/12 धारा 3/25 ARMS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज ।
23. मु0अ0स0 NIL/2012 धारा 102/411 भादवि0 मूर्ति चोरी थाना ठठिया जनपद कन्नौज
24. मु0अ0स0 19/16 धारा 18/20 NDPS ACT थाना ठठिया जनपद कन्नौज
25. मु0अ0स0 602/12 धारा 396 भादवि0 कोतवाली रीवा जनपद रीवा मध्यप्रदेश ।
26. मु0अ0स0 08/2023 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बिठूर कमि0 कानपुर नगर ।

## 2.अभियुक्त राजा का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 688/17 धारा 307 भादवि0 थाना तिर्वा जनपद कन्नौज
2. मु0अ0स0 08/2023 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बिठूर

**बरामद माल-** चांदी लगभग 01 किलो 792 ग्राम (मां पीताम्बरा के आभूषण), मंगल सूत्र पीली धातु लगभग 02 तोले (मां पीताम्बरा के गले का), शिवलिंग सफेद धातु वजन लगभग 134 ग्राम, रजाई (मां पीताम्बरा की मूर्ति के रात्रि विश्राम हेतु प्रयोग में आने वाली), दानपात्र के सिक्के लगभग 10/- के 109, 5/- के 161, 2/- के 117, 1/- के 200 कुल 2329 -/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त टार्च, कटर, हथौड़ी, पकड (सिडांसी), 03 मोबाइल, एक आधार कार्ड, वारदात में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल हीरो ग्लेमर UP74 H 3391

## खुलासा करने वाली पुलिस टीम में-

क्राइम ब्रांच से- उ0नि0 सुमित शर्मा, हे0क0 लवकुश मिश्रा, हेका0 प्रदीप कुमार, हेका0 दिलीप कुमार, का0 रोहित कुमार शामिल रहे।

थाना बिठूर से- प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार सिंह, उ0नि0 देवी शरण सिंह, उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह रावत, उ0नि0 मनजीत सिंह, उ0नि0 सचिन कुमार भाटी, का0 मनीष कुमार शामिल रहे।